Mob.: +91-9891709895, 9891095232 +91-11-47476071



Shri Niwas Leasing And Finance Limited



Regd. Office: 47/18, Old Rajendra Nagar, Rajendra Place Metro Station, New Delhi - 110060 E-mail: shriniwas.limited@gmail.com, Website: shriniwasleasingfinance.com CIN: L65993DL1984PLC019141

Date: - 03.11.2020

To, Department of Corporate Services Bombay Stock Exchange Limited P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001

<u>Sub: - Submission of Newspaper Clipping of Advance Notice for the Board Meeting as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.</u> <u>Script Code: 538897</u>

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of Newspapers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English Newspaper) dated **03.11.2020** in which the notice of Board Meeting has been published.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

For and on behalf of Shri Niwas Leasing And Finance Limited

Ravi Kuman Dhaker Company Secretary

Hotels and guest house owners worried about fire clearance

w Delhi/Novembe New Delhi/November 02
Two months after they
were allowed to reopen their
businesses, owners of hotels
and guest houses in the
national capital are a worded
lot. While their businesses
were aiready badly hit due
to the Covid-19 pandemic, a
lack of clarity about new fire
safety norms, notified by the
Delhi government in May last
year, have compounded their
concerns.

Delhi Hotel The Delhi Hotel and Restaurant Owners Association (DHROA) met state urban development Satyendar Jain last month to request him to extend by a year the deadline for the implementation of the new

norms that are currently under review. The existing deadline was March 31, 2020.

The Delhi government had notified the new fire safety norms in May, three months after a fire in Karol Bagh's Arpit Palace hotel claimed 17 lives.

But following objections raised by hotel and guest house owners, the Delhi government had in November last year constituted a sub-committee chaired by a special commissioner of police ilicensing/ to review and make appropriate and the safety in these institutions. The owners were given time till March 31 this year to comply with the new norms.

Mohit Shah, general



Secretary, DHROA, said,
"There is no clarity on what
the status of the new fire
safety norms is. We are
in a Catch-22 situation.
Our establishments have
clearance from the fire
department as per the old
norms. We don't know if we

is yet to submit its report, a senior government official said. A senior Delhi Police officer with the licensing department said, "The report is almost final and is expected to be submitted in the coming week."

week."
When contacted, Jain said, "We will extend the time for compliance due to the Covid-19 situation."
Hotel owners said they want the deadline to be extended at the earliest.

Modit Mani, owner of

extended at the earliest.
Murli Mani, owner of
a hotel in Karol Bagh and
DHROA chairman, said, "The
business is badly hit due
to Covid We are operating
the business in fear due to a lack of clarity about the fire norms. In case there is a fire incident, will the existing fire

NOC ine-objection certificate) be considered valid? The fire department is also not renewing expired NOCs. What will happen to those people?"

A senior Delhi Fire Services (DFS) official, who asked not to be named, said. Those who have not compiled with the changes notified in May 2019, do not technically have a valid NOC. As the deadline for implementation has not been extended and the amendment to the new rules not notified, the rules that were notified in May are in force."

As per the new amendments, kitchen or cooking activity in any form is not allowed on rooftops or basements of buildings,

and storage of inflammable materials or temporary roofing is banned in terraces. Besides, inflammable materials — like carpets and wooden or foam panellings — are not allowed on passages, corridors and staircases of buildings, and storage of gas cylinders in violation of standards prescribed by the National Building Code is also banned.

The hotel owners had raised objections to a few provisions in the amendment, such as installation of Carbon monoxide detectors and fire check or protection doors, and no fire NoCo to hotels with more than four floors. We had objected to installation of flrecheck doors in guesthouses and suggested that sprinklers

be allowed. There were other issues which we had raised. We want our fire NOC to be considered valid till next year. The government should notify the new norms at the earliest," said Boddy Lohia, president of Mahipalpur hotel owners' association.

president of Mahipalpur hotel owners' association.

Former DFS chief AK Sharma said that the government should notify the new norms so that hotel owners can comply with it. The government should take cognisance and extend the deadline for implementation. Now that the deadline for implementation has not been extended so far, the new rules notified in May are currently in force. But hotel owners can't be held responsible as the government.

Delhi Govt lists over 800 open spaces for residents to burn crackers during Diwali

MM BUREAU

New Delhi/November 02
The Delhi government has published a list of over 800 open spaces across the city where people will be permitted to burn "green" freercackers between 8pm and 10pm on Diwali.
The list comes even as the Delhi government is scheduled to launch a campaign on Tuesday urging people not to burn fire crackers this Diwali in light of air pollution, which is a greater concern this year owing to the present Covid-19 crisis.

Diwali this year will be celebrated on November 14.

order, said the governments has allowed the manufacture and sale of only green crackers, which contain fewer polluting substances as



and are less noisy as well. In 2018 and 2019, year, green varieties 'phuljhari' (sparklers and 'anar'(flower pol

city's 272 municipal wards.
Some of the prominent locations include Buddha Park in Mayur Vihar, a park in B block of Chanakyapuri, Ramleela ground in Laxmibai Nagar, Ajmai Khan Park in Karol Bagh, Sudarshan Park in Moth Nagar, Park in Moth Nagar, West Mehram Nagar Park in Belhi Cantonment, CBD ground opposite Hotel Leela and Gandhi Park in Saket.

A senior government official said the list was released to ensure that even if people choose to burn green firerackers, they do it in common locations that are more open, instead of structs, lanes and parking areas in residential areas.

Lo cal police and administration officials are also likely to set a cap on the size of gatherings in each open space. Enforcement teams will also remain active during Diwali, a senior official

in the government's revenue department said.

BS Vohra, president of East Delhi resident welfare associations' front, said "We shall be asking members to eelebrate Diwali without firecrackers this year. We have already started campaigns through social media platforms. The initiative on part of the government to identify locations for community celebrations reflect good intent, but it can't be said how much it can actually persuade people. We need better awareness campaigns and stricter enforcement of existing norms.

aing norms.

A total of 260 applications A total of 260 apparations for firecracker shop licences have been received so far by Delhi Police, which issued 138 licences till Thursday -- a number much higher compared to 2019 when only 97 had applied of which 62

had received permission to sell firecrackers. Eligible shopkeepers can start selling from Monday.

Anumita Roychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment, said: "The Government has to invest in an intensive campaign this year to encourage people not to burn firecrackers. The air pollution problem and spike in covid-19 cases together can rereate a health disaster. With issuing a list of designated locations for burning firecrackers and setting a time window, the government is apparently trying to ensure that residential moneause of the control norms more stringent in order to curb accessibility to firecrackers."

AAP calls North MCD 'corrupt', demands CAG probe; BJP says allegation 'baseless'

BJP says allegation 'baseless'

MM BUREAU/New Delhi/November 02

The Aam Aadmi Party (AAP) on Sunday accused the Bharatiya Janata Party (BIP-led North Delhi Municipal Corporation of corruption, and said the civic body has been under-recording the amount of property tax it has collected every year, and demanded the Comptroller and Auditor General (CAG) investigate the matter. The BJP, which governs the three municipal corporations in the city, hit back, calling the allegations 'baseless' "The North MCD should be collecting (2,100 crore as property tax, due to collected ground to the collecting (2,100 crore as property tax from 12 lakh people were year, but records show that only 1700 crores is collected annually from four lakh people. The remaining 1400 crore is sphoned off, "asid Durgesh Pathak, AAP's in charge of municipal corporation affairs. He also said, "The BJP leaders are boting 11400 crores collected by the MCD in the name of property tax, due to which they cannot pay their employees — dectors, nursing staff, teachers and cannitation workers. APP demands that this matter should be thoroughly investigated by the CAG." BJP's Delhi unit spokesperson Praven Shankar Kagoor said, "AAP is a bunch of people who are experts on baseless statuments. The party is in power in the Delhi of MCD in the party is in power in the Delhi of MCD in the party is in power in the Delhi of MCD of the property of the

'Baba Ka Dhaba' owner accuses YouTuber of misappropriation of funds

MM BUREAU/New Delhi/November 02 Kanta Prasad, the owner of popular eatery '1 Dhaba' in south Delhi's Malviya Nagar, has fil plaint against Instagram influencer Gaurav W

Ka Dhaba' in south Delhi's Malviya Nagar, has filed complaint against Instagram influencer Gaurav Wass for mis appropriation of funds, police said on Sunday. Prasad (80) had shot to fame after a video of him tearfully recounting the desperation of the mouths since the lockdown was shared widely across social media platforms recent Ironically. Prasad's despair had come to light when Wass captured the eatery owner breaking down as he talks about his struggles in a video shared on the YouTubes social media necount. In his complaint to police, Prasad sewan shot his video and posted it online and convince the public on social media to denate money to the eater onwer. He farther alleged that Wasan 'intentionally at deliberately shared only his and his family/friends hat details and mobile numbers with the donors and collect huge amount of donation through different mode payments to bank account/wallets without providing at information to the complainant.' The owner of the food join also accused the YouTuber.

Delhi Police subinspector kills himself with service pistol

MM BUREAU New Delhi/Novemb



MM BUREAU

New Delhi/November 02

A sub-inspector (S-I) of Delhi Police allegedly killed himself with his service pistol at his residence in Outer Delhi's Mohan Garden near Ranhola early in the morning on Monday. Police officers said they have learnt that the E0-year-old like a station in outer district, killed himself due to some financial trouble. A Koan, deputy commissioner of police OCP), (outer), Delhi Police, said that the Ranhola police station authorities received a call at 5 15 am regarding death by suicide by a man at his home reached his home and found that the deceased. A police team reached his home and found that the deceased was an S-I of Delhi Police. The S-I took the extreme step in a room on the ground floor of his house. His body was on the bed. He used his service pistol, "said a police official, requesting anonymity. DCP Koan said that the S-I had worked on Sunday. "We have learnt that he killed himself over some financial trouble. Further investigation is in progress," he said. The police are probing how the S-I managed to bring his service pistol home after his work got over on Sunday. It is being investigated whether the incharge of the malkham – a store room in a police station where the S-I was posted was aware that deceased did not return his service weapon after his duty got over, the officer added.

North-east Delhi riots HC sets aside trial court's order granting bail to private school principal said, "The accused has been charged with criminal conspincy. His absence from the control of the labelity of the labelity of the labelity in this case." In their charge sheet, the police had claimed that the rioters had camped inside and fired bullets from the terrace of Rajdhani School. They also three petrol bombs, acid, bricks, stones and other missiles using an improvised

MM BUREAU

New Delhi/November 02

The Delhi high court on Monday set aside a trial court order granting bail to Rajdhani School principal Fraisal Farrooq, an accused in the north-east Delhi riots, while stating that "the entire country is aggrieved by the action of such offenders who tarnish the basic secular fabric of the nation and needs to be punished severely."

Cancel ling the bail granted to Farrooq on June 20 by additional sessions Judge Vinod Yada, Justice Suresh Lad failed to appreciate that while deciding an application for bail, the society's interest is also to be safeguarded. He said that "personal liberty of an individual, though precious, is of little value if the larger interest of the coole and nation are at

stake."

The Delhi police had challenged the bail granted to Faroo who had been charged for hatching a conspiracy to precipitate and aggravate rotes, in and around his school. According to the police, it was on his directions chard the adjacent convent school, two the state of the property of the prop

charge sheet that the call detail analysis of Farooq suggested that the he had links with prominent members of Popular Front of India, Pinjra Tod group, Jamis Coordination Committee, and other persons, which indicate the depth of the conspiracy.

While cancel ling Farooq's bail, the judge

ABHILIT TRADING CO LTD
Qie Limited CHARLES (MICHAEL MINITED)
Gie Limit The Land State Control of the Contro

and to Regulation 29 read with Regulation the BEB (Listing Obligations and are Regulations rest). Regulations and the Regulations (2015, to be in hinted years that a Best of the Observations of the Company will be had on select, 31 Workmarker, 2006 at 2016 PM logic Office of the Company, intry also, to F, and against the company intry also, to F, and against the company intry also, to F, and against the company integrals.

ton contained in this notice is also in the Company's website i.e. meding.in and also on the website Dy order of the Board For Abbijk Treeling Co Ltd.

missiles using an improvised large iron catapult, specially installed for the purpose, from the terrace. Police also said that on February 24, the day of the riots, many children had been told to leave the school early, along with their parents, during the half time.

By order of the Board Textiles (Indix) Limited

Delhi Govt mulls ban on sale of loose cigarettes, beedis

MM BUREAU
New Delhi/November 02
The Delhi government is mulling to ban the sale of loo
garettes and beeds to discourage people from consuming su
sms as they are injurious to bealth.



A senior government official said on condition of anonymity has the Maharushkur government had imposed a similar bun in september last year. This matter is still being discussed and a state very initial stage at the moment. Legally, it is possible, but reliable down by the central government states that no erson can trade or do commerce in cigarettes or any other bacco product, unless when such product is sold, supplied or istributed by him/her, it bears thereon on its label the specified ealth warming, 'said the official. The ban can be imposed under ub-section 2 of section 7 of the cigarettes and other tobacco roducts (prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production. A senior government official said on condition of anonymit

MOONGIPA SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC057941 Regd. Off: 18/14, W.E.A. Puss Lane, Karol Bigh, New Dethi-110005; Tet-91-011-4150121 moongipas@gmail.com Website: www.moong

Crises...movergipasaggimani.com virtussie.www.moonippa.net MOTICE
Pursuant to Regulation 28 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosume Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is shereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesdady, November 10, 2020, inter alla, to consister and approach the Standardson Librardsod Standards 20, 2020.

Interestor may visit the Websides of the Company www.moonippa.net and the Standardsod Standardson for further definite in this results.

For MOONGIPA SECURITIES LIMITED

Date : November 62, 2020 Place : Delhi Company Secretary & Co

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

Pursuant to Regulation 28 447 of the SEBI (Listing Oblig Disclosure Requirements) Regulations 23 447 of the SEBI (Listing Oblig Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is the that a meeting of Board of Directors of the Company is scibe held on Tuesday, November 10, 2020, inter alia, to company the scibe of the Company of the Standardone Unaudited Financial Results of the for the quarter and half year ended September 30, 2020, investor may visit the Websites of the Company www.mon and the Stock exchange www.bseindia.com for turns-stranger.

For MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

डीयू के 12 कॉलेजों के टीचर्स को छात्र निधि से वेतन देने पर रोक का आदेश वापस लेने से इनकार

महालक्ष्मी ब्यूरो नई दिल्ली, 02 नवम्बर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार

को दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए छात्र निधि वे पैसे का इस्तेमाल करने के अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार के उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने के उसके निर्देश पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कहा कि पहले हलफनामा दाखिल कॉलेजों का भी पक्ष सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने कहा कि कॉलेजों के पास धन की कोई कमी नहीं है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (इस्) के वर्कील जिवेश तिवारी से इस मामले में सभी 12 कॉलेजों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कॉलेजों को अयली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है। अब मामले की अगली सनवाई गुरुवार को होगी। हाईकोर्ट में 23 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए खब निधि के पैसे का



को अपने शिक्षकों व कर्मचारियों को छात्र निधि से वेतन देने का निर्देश

कि छात्रों के कोष को लेने के बजाव सरकार को कॉलेज के कर्मचारियों छत्रों से फंड इकट्रा किया जाता है और सरकार से कुछ नहीं आता है। इसु ने सरकार के फैसले पर रोक इस् ने लगाने की मांग करते हुए वाचिका में कहा है कि छात्र निधि का इस्तेमाल छात्र कल्याण के अलावा किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जा सकता। सरकार के फैसले को चुनीती देते हुए गया है कि छात्र निधि का इस्तेमाल शिक्षकों और कर्मचारियों के बेतन व भता देने के लिए नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 16 अक्तूबर को उसके द्वारा वित्त पोषित 12 कालेजों को अपने शिक्षकों व कर्मचारियों का बकाया वेतन छात्र

शिश्वकों व कर्मचारियों को वेतन देने के उसके निर्देश पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कहा जारत ने भा भारत पा जा जाता है कर पर में भा जा जाता कर कर के स्व कि पहले हल्कनामा दाखिल कीजिए और इसके बाद सभी 12 कालेजों का भी पक्ष सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने कहा कि कॉलेजों के पास धन की कोई कमी नहीं है।

करने को कहा था। इन कॉलेजों के वेतन नहीं मिला है। इसू से याचिका में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन के लिए छात्र निधि के इस्तेमाल के सरकार के फैसले को मनमाना, गैर कानूनी बताते हुए रदकरने की मांग की। डीय से संबद्ध इन 12 कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को पिछले कई माह से बेतन नहीं मिल रहा है। ये सभी कॉलेज दिल्ली सरकार से 100 फीसदी वित्त पोषित है। आचार्य नरेंद्र

कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, अदिति महाविद्यालय विद्यालय, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोट्स साइंसेज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हैं।

खाकी वर्दी पहन कोविड-19 नियमों के उल्लंघन में चालान काटने वाला गिरफ्तार

महालक्ष्मी ब्यूरो नई दिल्ली

नई दिल्ली, 02 नवम्बर दिल्ली की भारत नगर पुलिस ने खाकी वदी पहनकर कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने के आरोप में उपेंद्र नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जांच में मालूम हुआ कि है आरोपी ने सिविल डिफेस में भर्ती का फॉर्म भरा हुआ था और इसलिए वर्दी सिलाई थी।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात अशोक विहार फेज-4 स्थित प्रसप्रफपस फ्लैट के गेट प सिक्वोरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार इयूटी कर रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की कार से खाकी वर्दी पहने युवक निकला। उसने गाड को अपना परिचय सिविल डिफेंस बॉलॉटियर उपेंद्र कुमार के तौर पर दिया और कहा कि कार में साहब बैठे हैं जो रात में कोविड-19 से जुड़े उल्लंघन का चालान करने निकले हैं। दर्ज

एफ आईआर के अनुसार, उपेंद्र सीधे कॉलोनी में घुस गया और बाहर खड़े लोगों के चालान काटकर रुपये जमा करने लगा। इस दौरान उसने 14 से अधिक चालान काटे। रास्ते में एक युवती मिली, जिससे उपेंद्र ने मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान किया। इस बीच सिक्वोरिटी गार्ड को कुछ शक् हुआ तो उसने उपेंद्र से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह कार से भाग निकला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

पीड़ित की शिकायत पर भारत नगर थाने में घोखाधड़ी आदि की धाराओं में एफआईआर् दर्ज़ कर ली गई। साथ ही प्रसप्चओ मोहर सिंह भीणा के नेतृत्व में टीम बनाई गई। एसआई आनंद सिंह को युवती से आरोपी उपेंद्र का मोबाइल नंबर मिल गया। फिर इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने भलस्वा डेवरी इलाके में छापा मारकर शनिवार को उपेंद्र को



त्राछ में मालूम हुआ कि वारदात प्रयक्त कार उपेंद्र के पिता के नाम पर है जिनकों छह माह पहले मौत हो चुकी थी। आरोपी ने बताया कि उसने सिविल डिफेंस में भर्ती के लिए फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन अभी भरी नहीं हुई है। उसने सिविल डिफेंस वालों को चालान काटते हुए देखा तो उसे यह उपाय सझा। इसके बाद वह अपने

खुद चालान काटता। पुलिस अब रमित की तलाश में छापेमारी कर रही है। विजिलेंस अधिकारी बनकर एक शख्स ने एसएचओं को फोन कर केस की जांच प्रभावित करने की कोशिश की। जांच में मामला सामने आने पर बवाना थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, एक साल

पर सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की कार से खाकी वर्दी पहने युवक निकला। उसने गार्ड को अपना परिचय सिविल डिफेंस वॉलॉटियर उपेंद्र कुमार के तौर पर दिया और कहा कि कार में साहब बैठे हैं जो रात में कोविड-19 से जुड़े उल्लंघन का चालान करने निकले हैं।

ने पित और ससुराल के लोगों पर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस अभी जांच कर रही थी। इस बीच तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर धर्मदेव के मोबाइल पर एक शख्स का फोन आवा। उसने खुद को बाराखंभा स्थित विजिलेंस विभाग का एसएचओ वीरेंद्र मोर बताया।

बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर धमदिव को शक हुआ तो उन्होंने इंस्पेक्टर वीरेंद्र मोर से खुद ही बात की जिससे पता चला कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी। इसके बाद वीरेंद्र मोर ने अपने विभाग में पहले इसकी शिकायत की। फिर बवाना थाने में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मोबाइल नंबर

तस्वीरा म ।दख रहा छ । । और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के

बड़े हिस्सों में पराली जल रही है। गोपाल राय ने कहा कि नए आयोगों के गठन से अधिक जरूरी जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करना है। केन्द्र ने

हाल ही में एक अध्यादेश के माध्यम

वार्यु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास

के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली आयोग का

में एक नया कानून पेश किया था,

धुमिल करने का प्रयास : प्रवीण शंकर नई दिल्ली, 02 नवास्त्र दिल्ली भाजपा प्रथक्ता प्रयोग शंकर कपूर ने कहा है कि गत 4-5 साह से राजनीतिक द्वेष के कारण आम आदमी पार्टी एवं उसके प्रथक्ताओं ने

आप पर निगमों की छवि

ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री तक भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों पर अनगँल आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक संवाद, आरोप-प्रत्यारोप का स्तर आम आदमी पार्टी नेताओं ने इतना गिरा दिवा है कि ऐसा लगता है कि हम देश की राजधानी में नहीं किसी दरंदाज खाप पंचायत है ल्पना है कि हम दश को राजधाना में नहीं किसो दूरदाज खांप पंचावन में राजवीतिक पैर्तियों कर रहें हों एक एक बेहद दुखर स्थित है, हिल्ली की जनता इसे बहुत गम्भीरता से देख रही है और आम आदमी पार्टी को अपने इन अनर्गल बचानों की आगामी नगर गिराम चुनावों में भारी कीमत चुकानी होंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2007 से लगातार नगर निगम में सेवारत है और इस अवधी में लगातार कांद्रिस का फिर आम अहदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। इन 13 वर्षों में जनता ने हमें दो बार पुनः चुना है जो नगर निगम में हमारी अच्छी सेवा का प्रमाण है। इस अवधि में कछिस एवं आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नगर निगमों को अस्पकल करने के लिये फंड रोकने का ओछा हथकड़ा अनेक बार अपनाया है और आज भी अपनाया हुआ है। चालू वित्त वर्ष आधा हो चुका है पर इस वर्ष का एक तिहाई फेंड भी नगर निगमों को नहीं मिला है। एक और तो दिल्ली सरकार के द्वारा फंड रोक नगर निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है वहीं सत्ताक्षारी आम आदमी पार्टी आधारहीन आर्थिक घोटालों के अनर्गल आरोप लगा कर नगर निगमों पर्व उनको प्रशासित कर घाटाला के अनगल आराप लगा कर नगर ानगाम एवं उनका प्रशासित कर रहे भाजपा नेजों की छींव धुषिण करने का निरंतर अश्मियन चला रही है। इस नकारात्मक अभिवान के प्रमुख सुरधार हैं आम आदमी पार्टी नेता विधायक सेरेप भारतात एवं नेता दुनेश पाठक को निरंतर खुँठे, क्थारीन, भ्रामक आरोप लगा हैं। भाजपा प्रशास प्रथमित प्रशास कुए ने कहा है कि इसी भ्रामक और जायन हम में आम आदमी पार्टी नेता दुनेश पाठक ने कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के भाजपा नेतृत्व पर एक अनुगंल आरोप लगाते हुऐ प्रति वर्ष 1400 करोड़ के सम्पत्ति कर राजस्य के गवन का दोष लगाया है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।-bjpdelhinew@gmail.com

दो वाहनों को एक ही नम्बर

परिवहन कार्यालय में लापरवाही या भ्रष्टाचार

नई दिल्ली, 0.2 नवाब्यः दिल्ली भाजपा मीडिवा प्रमुख नवीन कुमार ने कहा कि गत दिनों दिल्ली में एक ही थीं.आई.भी, फैसी नब्बर एनेट याली ये गाड़ियों के होने का मामला ट्रैंगिक पुल्सि के चाराना के बाद सामने आया है जो दिल्ली सरका के परिवहन विभाग के भ्रष्टाचर और लापरवाही की ओर तो ईमित करता

बवाना अग्निकांड

आरोपी मनोज जैन एक बार फिर पटाखा फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार

मुं दिल्ली, 01 नवाबर (ह.स.) दिल्ली के बबाना ऑनकांड के सुख्ज आरोप सनोज जैन को एक बार फिर अंबेघ पटाखों की फैक्ट्री चलाने के आरोप में निरफ्तार किया गया है। हालांकि, इस बार वह हरियाणां के कुंडली में अनेश पटाखों की फैक्ट्री चला रहा था। खेंटे-खेंटे बच्चे इस फैक्ट्री में काम कर

रही था। छाट-इंडर बच्च इस फहनू में काम कर रहे से ॥ इससे पहले जनवरी 2018 में बचाना में वह अवेध पटाखों की फैक्ट्री चला रहा था, जहां अच्चतक रुगी आग में 17 तिगों की मीत हो गई थी। बहरहाल, वह जमानत पर बाहर था। पीड़ित पञ्च के वकील प्रवीर खड़ी इस आरोपी की जमानत रह करने के लिए रोहिणों कोर्ट में गाचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। बकील खड़ी

ने बताया कि आरोपी मनोज जैन को रविवार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी कोर्ट से वह सशर्त जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन उसने एक बर फिर लोगों की जान से खेलने का प्रयास किया है। वह इस बार अदालत से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जामात्तर पर बाहर आने के बाद मनीज जीन ने अपनी इसी काली करतूत को जारी रखा। बस इस बार टिकाना बदल लिया। इस बार उसने पटाखे बनाने के लिए हरियागा के कुंडिली को चुना। वहीं, बवाना ऑनक्कांड में अपनों को जान गंवा चुके पीड़ित परिवारों का कहना है कि अरोपी मनोज जैन के बहुत जान गंवा चुके पीड़ित परिवारों का कहना है कि अरोपी मनोज जैन के बहुत जान ने प्रमुख साहार नाभवीर को करने हैं है कि स्वार ने कही. रसूख वालों लोगों के साथ संबंध हैं। इसलिए उसने इतनी हिमाकत दिखाई कि दिल्ली में 17 लोगों की मीत के जिम्मेदार ने बेधड़क दूसरी जगह पटाखों की एक बड़ी फैक्ट्री खोल ली। इस फैक्ट्री में छोटे-छोटे बच्चे व महिलाएं काम करती हुई गार्ड गई हैं। दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं अपनी 20 वर्षीय बहन को इस हादसे खो चुके हरचरण का आरोप हैं कि पुलिस की सह पर ही उसने दोवारा यह कृत्व किया है।

दिल्ली दंगे मामला

कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दावर शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।इन दंगों का शिकार बने एक व्यक्ति ने अदालत में द्वज बारन के आदरा (८५) है। इन देश को शर्तकार बन एक ज्याहन ने अध्याहन स्वाध्याहन श्रीकायदापत्र विद्याल कर कहा था कि उसकी दुकान व मकान लूटा नया था। उसी दौरान उसने देखा था कि भीड़ ने बुकें वाली एक महिला की हत्या कर उसका शव भागीरथी विहार नाले में फेंक दिया था। हालांकि, पुलिस की तरफ उसत व्यव उसन देखा या कि भाई ने युक्त बाला एक भाइना की हरण कर सकता जब जागिया बिहार ताले में फेक दिया था हालांकि, पुलिस की तरफ से कहा गया था कि वह आरोप चेंचुनियाद हैं। कड़कड़बुधा स्थित मेंट्रोपिलिंग को पटकार लगाते हुए कहा कि चर्चेग होता है। कड़कड़बुधा स्थित मेंट्रोपिलिंग को पटकार लगाते हुए कहा कि चर्चेग लांच वह आरोपों को गलत कैसे बता सकते हैं। इस मामले को किकायकराती खूद दर्गों का पीड़ित है। ऐसे में किसती आतात महिला के हरण कर उसके शत को भारते में डीहत है। ऐसे में किसती मार्चिलिंग की वात को बिना तपतिय हुएलामा के पहला को पहले तथा को पहले को बता के लिया नापतिय अवस्था के साम को बिना तपतिय हुएलामा कैसे जा सचना है। पुलिस को पहले तथा बी जॉन करनी चाहिए। अवातन ने कानूनी प्राथमान का डवलाए ते हुए कहा कि किसी से संजीतिय अपराध की सुचन मिलने पर पुलिस को पहले एप आईआर दर्ज करने एवं उसके बाद सामार की आंच कर रिपोर्ट एक करने एवं उसके पर बुक्त करने एवं उसके पर बुक्त करने पर इसने बोल की साम की अवस्था के पास ही उसका घर बुक्त है। पास समुदार विपास के सुचन इसके पर बुक्त करने एवं उसके पर प्रथम की अवस्था के साम वे देखा था कि उसके पर बुक्त ने पास की साम की अवस्था के साम वे देखा था कि उसके पर बुक्त ने साम की साम की साम की साम की अवस्था के साम वे देखा था। उसके घर में बेटी की शादी के लिए जुएए एस सामन, ककदी व जंसरात को लूट लिया था। उसके पर बुक्त कर लिया था, जिससे बहु बुक्त के भारते पास हमा के प्रथम के साम की साम के साम के साम की साम के साम के साम की साम की साम की साम के साम की स

दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हुई

महालक्ष्मी ब्यूरो नई दिल्ली, 02 नवस्बर

नड्ड विल्ला, 02 नवास्त्रर दिल्ली के पर्वावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को माजपा और कांग्रेस पर निशान साधते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, लेकिन विपक्षी दल इसे मान नहीं रहे।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु र्वे विद्यान में महिल की वायु गुणवता और मौसम पूर्वानुंमान तथा अनुसंधान प्रणाली (सफर) के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी रविवार को बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है, जो कि इस मौसम का अधिकतम है। इससे पहले शनिवार को प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 32 प्रतिशत, शुक्रवार को 19 प्रतिशत और गुरुवार को 36 प्रतिशत थी।

गोपाल राग ने पत्रकारों से कहा

दिल्ली में दिवाली के आसपास दूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के लेए पराली जलाना एक प्रमुख कारण है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण के पराली जलाने की हिस्सेदारी चार से छह प्रतिशत है, जबकि आंकड़ों के अनुसार वह 40 प्रतिशत है।

कृते मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार

गुलशन आहुजा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

रिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।

दिनांक : 02 नवंबर 2020

कि हम बार-बार कह रहे हैं कि

मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड CIN: L74899DL1994PLC057941 पंजीकृत कार्यालय । 18/14, इक्ट्युईड, पुसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फ्तेन : +91-011-41450121 ल moongipas@gmail.com वेदसाइट : www.moongipa

मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिङ CIN: L65993DL1987PLC028669 पंजीवत कार्यालय 18/14, डब्ल्यू ई.ए. पूर्वा हेन, करोल बाग, व्हें व्हिन्से 110005 फोना 1014-148017. -पेल moongipac@gmail.com वससाहट : www.mongipa.com

3- भरा moonppace@mail.com वन्तरा: 'www.moonppac.com मुख्या' वार्त (शिरिटेरा प्रतिवर्ध पर्य प्रस्टिकिया आवारवक्काओं) विनियम 2015 के विनियम 29 पूर्व 47 के अनुभावन में, एतर ह्वारा सुचिव किया जाता है कि कम्मति के दिश्यक मंदिर को बैठक मेंगावादा, 10 नंत्रबर 2020 को होगी, निवास कम्पती के 20 मिलंबर 2020 को समागा निवास पर प्रकारी के स्वतंत्र अनअकिवित वित्तीय परिणामी का विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।
निव्यक्त प्रस्त संबंध में 20 दिवान के दिल्ये कम्मती की वेबसाइट www.moonppac.com

जैव अपशिष्ट जलाने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और धूल प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। 'सफर' के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल एक नवम्बर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत थी। अमेरिकी अंतरिक्ष

CAPITAL FINVEST LIMITED Regd. Office: 1902, Arumschal, 18 Bankhambe Road, New Delhi-110001 Phone: 23718955, 2331595, Website: www.capfin.lin.

ना शिलाना-11005 प्लीन : +91-011-41450:22 ।
ई-मैल moongipas@mail.com वैद्याहर : www.moongipa.net
पूपना
सेवी (लिस्टिन प्रियंत्वे एवं प्रकटीमाना आवरणकाओं) विनिध्य (2015 के
विनिध्य 20 एवं 47 के अनुभावन में, एवं प्राव द्वीचा किया जाता है कि कम्पनी
के निद्यंत्वक में के वेद्यंत्वन में, एवं प्राव द्वीचा किया जाता है कि कम्पनी
के निद्यंत्वक मंत्रक के वेद्यंत्व 10 वर्षय 2020 के होती, तिमार्थ सम्मार्थ
के 30 मिलंब 2020 को समान विभावी एवं एम्बारी के स्वर्धन अनअवेदवित विशोध

ABHIJIT TRADING CO LTD

क पारवक नियमण के प्रशास आर लापरवाड़ों को आर ता इसते करता है है पर साथ ही दिल्ली की सुरक्ष जनकरमा को भी खतरे में डालता है। नवीन कुमार ने कहा है की ऐसे भी समाचार सामने आए हैं जहां परिवान विभाग मुखालस्य एखं खेत्रीक कार्वालयों ने एक ही नंबर दो-दो ब्वाहतों को दे दिख और अब अधिकारी निजी तर पर चता नंबर प्यस्त कर बहुत है। इस एक गम्भीर मामला है जो दिल्ली के प्ररिवाहन कर्पनी ने पित हैं पूर्ण प्राचानिकारिया जा प्रिट्स के प्रतिकार के अपने स्वति जी कि अपने कि अपन

-bjpdelhinew@gmail.com



By order of the Board gare And Holdings Ltd \$4